भारतीय लेखापरीक्षा एंव लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Punjab
Plot No. 21, Sector 17-E, Chandigarh – 160 017

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक: प्रशासन-I/I/1101663/2025 दिनांक:27-08-2025

परिपत्र

CIRCULAR

विषय: प्रतिनियुक्ति के आधार पर कल्याण सहायक के पद पर नियुक्ति।

Sub: Appointment to the post of Welfare Assistant on deputation basis.

इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 15.01.2025 के क्रम में, सी सी एस (संशोधित वेतन) नियम 2016 के तहत स्वीकार्य वेतन स्तर -08 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस कार्यालय में कल्याण सहायक के एक्स-कैडर पद पर नियुक्ति के लिए इस कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षकों / सहायक पर्यवेक्षकों (लेखा परीक्षा) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

In Continuation to this office circular dated 15.01.2025, applications are invited from Sr. Auditors/Asst. Supervisors (Audit) of this office for appointment to the ex-cadre post of Welfare Assistant in this office on deputation basis in the Pay Level-08, as admissible under the CCS (Revised Pay) Rules 2016.

पात्रता (परिपत्र जारी होने की तिथि के अनुसार):

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी; या

(ii) वरिष्ठ लेखा परीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) वरिष्ठ लेखा परीक्षक और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) के ग्रेड में 03 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वाले अधिकारी; और

(ख) कल्याण या सामुदायिक गतिविधियों, हाउसकीपिंग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यक्तिगत दावों के निपटान सहित कार्मिक प्रशासन आदि के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Eligibility (as on date of issue of circular):

(a) (i) Officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or**

(ii) Sr. Auditors/Asst. Supervisors (Audit) with three years' service in the grade; **or**

(iii) Officials with combined regular service of 03 years in the grade of Sr. Auditors and Assistant Supervisors (Audit); **and**

(b) Possessing three years' experience in the field of welfare or community activities, housekeeping, sports and cultural activities, personnel administration including settlement of personal claims etc.

(c) The maximum age limit for appointment by deputation shall be not

exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

प्रतिनियुक्ति की अवधि:

प्रारंभिक चरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि एक वर्ष की होगी। चयन के बाद, पद पर उनका आगे बने रहना उनके संतोषजनक प्रदर्शन और प्रदर्शित वास्तविक रुचि पर निर्भर करेगा। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन (03) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Period of Deputation:

The period of deputation in the initial stage will be for one year. After selection, their further continuance in the post will depend upon satisfactory performance and actual interest displayed. However, period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three (03) years.

नियम एवं शर्तें:

1. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारी इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उचित माध्यम से बायोडाटा (अनुलग्नक-I) के साथ आवेदन भेज सकते हैं। जिन आवेदकों ने पहले आवेदन किया है, उन्हें भी पुनः आवेदन करना होगा।

2. आवेदन के साथ आवेदक द्वारा की जा रही कल्याणकारी गतिविधियों का विवरण अवश्य संलग्न होना चाहिए ताकि पद के लिए उनकी योग्यता का आकलन किया जा सके।

3. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/इच्छा पर विचार नहीं किया जाएगा।

Terms & conditions:

1. The interested official who fulfil the eligibility criteria may send the application along with Bio-data (Annexure-I) through proper channel within 30 days from the date of issue of this circular and those who have applied earlier are also required to apply again.

2. The application must be supported with details of the welfare activities indulged in by the applicant so that their aptitude for the post may be judged.

3. Applications/willingness received after the last date will not be entertained.

यह प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Pr. Accountant General.

PUSHPENDRA GEHLOT

उप महालेखाकार (प्रशासन)

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव।
2. सभी समूह अधिकारियों को उनके द्वारा एवं कल्याण अधिकारी
3. उपमहालेखाकार (प्रशासन) के निजी सहायक/गोपनीय सहायक ।
4. व.ले.प.अ. (सभी अनुभाग के मुख्यालय) को उनके अनुभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु ।

5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब, चंडीगढ़ ।
6. कार्यालय आदेश फाईल।
7. सम्बंधित अधिकारीगण/कर्मचारी |
8. सूचना पट एवं कार्यालय वेबसाइट |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I)

Digitally signed by
Pushpendra Gehlot
Date: 27-08-2025
10:26:22

Digitally signed by
Tamanna Sehgal
Date: 27-08-2025
10:54:19

<u>Annexure-I</u>

<u>BIO-DATA</u>

Name of the Official	
Designation & PUCDA Code	
Date of Birth	
Date of Appointment	
Date of confirmation in the entry grade	
Educational Qualification	
Whether belongs to SC/ST/OBC	
Whether OH/PH/HH	

Date: **Signature of the Official**